उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्याः– 220/22/JE-23/G-2/ 2023-24 **दिनांकः 16 अक्टूबर, 2024**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य सिविल कनिष्ठ अभियन्ता सेवा प्रारंम्भिक परीक्षा–2023 के परीक्षा परिणाम दिनांक 10.07.2024 के सम्बन्ध में कतिपय प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जिनके सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा विचारोपरान्त निम्नवत् प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये हैं–

क्र0 स0	प्रार्थी का नाम, अनुक्रमांक व प्रत्यावेदन तिथि	प्रार्थी का कथन	प्रत्यावेदन निस्तारण
01.	**(i) मोनिका वर्मा** **अनुक्रमांक 816445** **दिनांक 02.09.2024** **(ii) कु0 चारू** **अनुक्रमांक 817689** **दिनांक 02.09.2024**	प्रार्थीगण का कथन है कि सम्मिलित कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2023 के अंतिम चयन परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2024 में UR/UF की कट ऑफ 575.1870 है तथा प्रार्थी मोनिका वर्मा (अनु0–**816445**) के प्राप्तांक 558.8501 एवं प्रार्थी कु0 चारू (**अनु0–817689**) के प्राप्तांक 574.0495 हैं, तथा उनका यह भी कथन है कि विज्ञापन की शर्तों एवं Horizontal Reservation नियमावली के अनुसार त्रुटिपुर्ण है। Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation For Woman) Act-2022 Section-11 &12 के अन्तर्गत शासनादेश 1144/personal/-1/2001 एवं UKPSC Result Making Rule-2022 (भाग–3) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके अनुसार महिला जिस श्रेणी की होगी, उसका समायोजन मेरिट के आधार पर उसी श्रेणी में किया जाएगा। चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी DFF/EXS/PH का चयन तो उनकी ही श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, किन्तु क्षैतिज आरक्षण की ही श्रेणी UF तथा	विज्ञापन दिनांक 14.10.2023 में विभिन्न विभागों के लिए UR/UF श्रेणी के लिए पद विज्ञापित किये गये हैं। अभ्यर्थी मोनिका वर्मा (अनु0–**816445**) के प्राप्तांक 558.8501 एवं प्रार्थी कु0 चारू (**अनु0–817689**) के प्राप्तांक 574.0495 हैं, UR/UF श्रेणी से सम्बन्धित हैं, जोकि UR/UF के कट–ऑफ–मार्क्स में स्थान धारित नहीं करते हैं। उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 में उत्तराखण्ड अधिवासी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। शासनादेश संख्या–54 दिनांक 06.03.2023 में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखण्ड महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण उक्त अधिनियम की धारा–3 के अनुसार प्रदान किया जाएगा। उक्त प्राविधान के क्रम में ही प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन में उत्तराखण्ड महिलाओं के पद श्रेणियों के अन्तर्गत विज्ञापित किये गये हैं।यह भी उल्लेख करना है कि अनारक्षित पदों के सापेक्ष सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर, जो सामान्य मानक पूर्ण करते हैं, विचार किया जाता है तथा मैरिट के आधार पर चयन किया जाता है। इस क्रम में शासनादेश संख्याः– 1012, दिनांक 19.09. 2003 में प्राविधान है कि अनारक्षित पदों पर यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी चयनित होता है तब उसका समायोजन अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष किया जाएगा। उक्त प्राविधान के आधार पर प्रश्नगत परीक्षा की चयन की

		UKOR की अन्य श्रेणी (OBC/UF,EWS/UF,SC/UF, ST/UF) की 67 महिला अभ्यर्थियों का चयन UR/UF के अन्तर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा परीक्षा परिणाम संशोधित कर, चयन परिणाम में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।	कार्यवाही की गयी है। जहॉ तक प्रश्न DFF/EXS/PH की रिक्तियों का है, इन रिक्तियों को किसी लम्बवत श्रेणी में विभक्त नहीं किया गया है, अपितु कुल पदों में ही यह रिक्तियॉ समाहित हैं। इन रिक्तियों का उत्तर–प्रदेश लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 की घारा 3(3) (उत्तराखण्ड में भी प्रभावी) के अनुसार DFF/EXS/PH के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उनसे सम्बन्धित मूल श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष किया गया है। इस प्रकार उत्तराखण्ड महिला एवं DFF/EXS/PH की रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित दो अलग–अलग अधिनियम के प्राविधानों के आधार पर की गयी है, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
02	**वरूण देव** **अनुक्रमांक 822951** **दिनांक 30.08.2024**	प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023 का अंतिम चयन परिणाम जोकि 10.07.2024 को घोषित किया गया है, में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अनुपालन में दिव्यांगजन श्रेणी पी0डी 07 पदों एवं दिव्यांगजन एम0डी0 के 02 पदों कुल 09 पदों एवं उपरोक्तानुसार श्रेणी ओ0ए0, ओ0एल0, इत्यादि के योग्य अभ्यर्थियों को चयनित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	विज्ञापन दिनांक 14.10.2023 में विभिन्न विभागों के लिए दिव्यागजन की विभिन्न श्रेणियों के लिए पद विज्ञापित किये गये हैं। उल्लेख करना है कि मा0 आयोग की बैठक दिनांक 01.03.2024 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित–2024 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक पूर्णांक के 30 प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं। चयन परिणाम दिनांक 10.07. 2024 के लिए तैयार मेरिट में उक्त प्राविधान के अनुसार पूर्णांक 920 का 30 प्रतिशत अर्थात 276 अंक धारित अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची से मेरिट के आधार पर दिव्यांगजन के आरक्षित पदों के सापेक्ष चयन किया गया है। उपरोक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग के लिए HH/PD के 07 व MD के 02 आरक्षित पदों के सापेक्ष चयन नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख विभागवार निर्गत चयन परिणाम में कर दिया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि भारत

			सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के संदर्भ में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः232(1)xxx(2)/2018 दिनांक 26.09.20218 के बिंदु संख्या–12 (ख) के परन्तुक में उल्लेख है कि दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। आयोग एक चयन संस्था है, जबकि नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित विभाग है। तद्क्रम में दिव्यांगता की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है। उल्लेखनीय है कि शासन/विभाग से प्राप्त अधियाचन में यह उल्लेख नहीं है कि यदि दिव्यांगता के लिए आरक्षित पद के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तब उस पद को दिव्यांगता की किसी अन्य उपश्रेणी से भरा जाए। उपरोक्त के क्रम में चयन प्रक्रिया नियमानुसार की गयी है, जिसके क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव